कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़

सी.यू.जी. - 9454400250, दूरभाष- 05462-260403, ई-मेल- spazh-up@nic.in

पत्र संख्या- 29/2026

प्रेस-नोट, जनपद आजमगढ़

दिनांक- 18.01.2026

थाना मुबारकपुर पुलिस व बदमाश के बीच हुई मुठभेड़ में एक अभियुक्त को घायल अवस्था में गिरफ्तार किया गया।

जनपद आजमगढ़ के थाना मुबारकपुर क्षेत्र में अपराध नियंत्रण एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत दिनांक 17.01.2026 की रात्रि को पुलिस एवं वांछित अभियुक्त के मध्य सशस्त्र मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के दौरान अभियुक्त द्वारा पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग की गई, जिस पर पुलिस द्वारा आत्मरक्षार्थ नियंत्रित जवाबी कार्यवाही की गई, जिसमें अभियुक्त घायल अवस्था में गिरफ्तार किया गया।

पुलिस मुठभेड़ का विवरण:-

दिनांक 17.01.2025 की रात्रि में प्राप्त सूचना के आधार पर प्रभारी निरीक्षक थाना मुबारकपुर के नेतृत्व में गठित पुलिस टीम द्वारा अमिलो क्षेत्र में घेराबंदी कर संदिग्ध व्यक्ति को रोकने का प्रयास किया गया। पुलिस को देखते ही अभियुक्त भागने लगा तथा पुलिस बल पर फायर झोंक दिया। पुलिस द्वारा आत्मरक्षार्थ जवाबी कार्यवाही में अभियुक्त के दाहिने पैर में गोली लगने से वह घायल होकर गिर पड़ा, जिसे तत्काल काबू में लिया गया। घायल अभियुक्त को प्राथमिक उपचार प्रदान कर सीएचसी मुबारकपुर भेजा गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के संबंध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 24/26 धारा 109(1) BNS व 3/25 शस्त्र अधि0 पंजीकृत किया गया। अन्य अग्रिम आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

➡ घटनास्थल पर फील्ड यूनिट द्वारा वैज्ञानिक साक्ष्य संकलन किया गया।

पूर्व की घटना का विस्तृत विवरण-

दिनांक 14.01.2026 को वादी मुहम्मद फिरोज पुत्र मुहम्मद अबरार, निवासी मुंशीपुरा, थाना कोतवाली, जनपद मऊ द्वारा थाना मुबारकपुर पर सूचना दी गई कि दिनांक 13.01.2026 की रात्रि को उसकी बहन एवं बहनोई को अभियुक्त सालिम पुत्र हफीजुर्रहमान तथा उसके परिवारजनों द्वारा घरेलू विवाद एवं सम्पत्ति में हिस्सा न देने को लेकर एक राय होकर लाठी-डण्डों एवं लोहे की रॉड से बेरहमी से मारपीट कर घर से बाहर फेंक दिया गया था।घटना में वादी के बहनोई को गंभीर चोटें आईं, जिनकी इलाज के दौरान मृत्यु हो गई, जबकि वादी की बहन गंभीर अवस्था में उपचाराधीन है। उक्त घटना के संबंध में थाना मुबारकपुर पर मु0अ0सं0–18/2026 धारा 3(5), 115(2), 105 BNS के अंतर्गत कुल 08 अभियुक्तों के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया था।

घायल/ गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

01. सालिम पुत्र हफीजुर्रहमान, निवासी – अमिलो, थाना मुबारकपुर, जनपद आजमगढ़, उम्र – लगभग 24 वर्ष।

बरामदगी का विवरण

01. एक अदद देशी तमंचा (.315 बोर)
02. एक अदद जिन्दा कारतूस (.315 बोर)
03. एक अदद खोखा कारतूस (.315 बोर)
04. एक अदद मिस जिन्दा कारतूस (.315 बोर)

पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0सं0 24/26 धारा 109(1) BNS व 3/25 शस्त्र अधि0, थाना मुबारकपुर, जनपद आजमगढ़।

पूर्व में पंजीकृत अभियोग का विवरणः-

01. मु0अ0सं0–18/2026 धारा 3(5), 115(2), 105 BNS , थाना मुबारकपुर, जनपद आजमगढ़।

अभियुक्त का आपराधिक इतिहासः-

01. मु0अ0सं0 218/22, धारा 323, 354(ख), 498(ए), 504, 506 आइपीसी, व 3/4 डीपी एक्ट , थाना मुबारकपुर, जनपद आजमगढ़।
02. मु0अ0सं0–18/2026 धारा 3(5), 115(2), 105 BNS , थाना मुबारकपुर, जनपद आजमगढ़।
03. मु0अ0सं0 24/26 धारा 109(1) BNS व 3/25 शस्त्र अधि0, थाना मुबारकपुर, जनपद आजमगढ़।

पुलिस मुठभेड़ में शामिल टीम-

01. प्रभारी निरीक्षक शशि मौलि पाण्डेय, थाना मुबारकपुर, जनपद आजमगढ़।
02. उ0नि0 कमला सिंह यादव, , थाना मुबारकपुर, जनपद आजमगढ़।
03. उ0नि0 मुरारी मिश्रा, प्रभारी चौकी कस्बा मुबारकपुर, , थाना मुबारकपुर, जनपद आजमगढ़।
04. उ0नि0 अश्विनी मिश्रा, , थाना मुबारकपुर, जनपद आजमगढ़।
05. हे0का0 जयप्रकाश नारायण, थाना मुबारकपुर, जनपद आजमगढ़।
06. हे0का0 आशिफ जमाल खान, थाना मुबारकपुर, जनपद आजमगढ़।
07. हे0का0 प्रभुनाथ यादव, थाना मुबारकपुर, जनपद आजमगढ़।
08. हे0का0 रविन्द्र सिंह, थाना मुबारकपुर, जनपद आजमगढ़।
09. हे0का0 भानु पाण्डेय, थाना मुबारकपुर, जनपद आजमगढ़।
10. हे0का0 जयराम तिवारी, थाना मुबारकपुर, जनपद आजमगढ़।
11. का0 प्रदीप चन्द, थाना मुबारकपुर, जनपद आजमगढ़।
12. का0 जितेन्द्र यादव, थाना मुबारकपुर, जनपद आजमगढ़।
13. का0 सत्यम सिंह, थाना मुबारकपुर, जनपद आजमगढ़।
14. का0 राहुल चौधरी, थाना मुबारकपुर, जनपद आजमगढ़।